रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248462
CG-DL-E-31082023-248462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3696] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 3696] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

(संशोधन)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

का.आ. 3857(अ).—ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम संबंधी दिशानिर्देशों के आंशिक आशोधन में (जिसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2021 को सां.आ. संख्या 3947 (अ.) द्वारा अधिसूचित किया गया था), निम्नलिखित संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किए जाते हैं:-

उप-पैरा 2.26 का संशोधन को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

पैरा 2.26 : **घरेलू मूल्य संवर्धन:** "घरेलू मूल्य संवर्धन" शब्द का अर्थ आपूर्ति श्रृंखला के उस निर्दिष्ट भाग में की जा रही विनिर्माण गतिविधि के प्रतिशत के रूप में लगाया जाएगा। इसे भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। % घरेलू मूल्य संवर्धन=[{उत्पाद का एक्स फैक्टरी समायोजित मूल्य -(माइनस) समायोजित आयात सामग्री}/ उत्पाद का समायोजित एक्स-फैक्ट्री मूल्य]x100 जिसमें एक्स-फैक्ट्री मूल्य का अर्थ अनुप्रयोज्य करों से पूर्व, फैक्ट्री गेट पर उत्पाद के मूल्य से है।

सीआईएफ का अर्थ लागत, बीमा और माल ढुलाई से होगा।

उत्पाद का समायोजित एक्स-फैक्ट्री मूल्य = उत्पाद का एक्स-फैक्ट्री मूल्य - (घटाव) बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के अनुसार कुल छूट-प्राप्त आयात - (घटाव) डीलर/चैनल मार्जिन के अतिरिक्त भारित औसत छूट।

समायोजित आयात सामग्री = आयात सामग्री अर्थात् गैर-ऋण योग्य आयात शुल्कों - (घटाव) बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार कुल छूट-प्राप्त आयात सहित अंतिम उत्पाद में रॉयल्टी सहित सभी गैर-मूल सामग्री और सेवाओं के सीआईएफ मूल्य का योग।

उपर्युक्त पूरी गणना जीएसटी का निवल है।

उप-पैराग्राफ 2.27 के पश्चात्, उप-पैराग्राफ 2.28, 2.29 और 2.30 जोड़े जाएंगे, नामत : -

पैरा 2.28 : **बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू):** बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न आवेदकों और ऑटो उद्योग संघों के साथ चर्चा/हितधारक परामर्श के दौरान उठाए गए प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को इस स्कीम में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में संकलित किया गया है और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया गए है।

पैरा 2.29 : भारित औसत छूट: यह पिछले 12 महीनों में एएटी उत्पाद पर आवेदकों द्वारा अपने डीलरों/वितरकों को दी गई छूट का भारित औसत है।

पैरा 2.30 : **गैर-मूल सामग्री और सेवाएं:** सामग्री और सेवाएं जिनका उद्गम देश उस देश से इतर है जिसमें उस सामग्री/सेवा का उपयोग विनिर्माण में किया जाता है और कोई भी सामग्री/सेवा जिसका उद्गम निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[फा. सं. 12(11)/2020-एईआई (21370)]

हनीफ़ कुरैशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

(AMENDMENT)

New Delhi, the 31st August, 2023

S.O. 3857(E).— In partial modification of the Scheme Guidelines for the Production Linked Incentive (PLI) scheme for Automobile and Auto Component industry which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. No. 3947(E) dated 23rd September 2021, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette:-

Amendment of sub-paragraph 2.26 to be read as under :

Para 2.26 : ***Domestic Value Addition:*** *The term "Domestic Value Addition" will be construed as the percentage of manufacturing activity being undertaken in that referred part of the supply chain. It will be certified by Testing agency of MHI. % Domestic Value Addition = [{Adjusted Ex-factory price of the product – (minus) Adjusted Import content} / Adjusted Ex-factory price of the product] x 100, where,*

Ex-Factory Price shall mean price of the product at the factory gate, before applicable taxes.

CIF shall mean Cost, Insurance and Freight.

Adjusted Ex-factory price of the product = Ex-factory price of the product - (minus) Total Exempted Import as per FAQs – (minus) Weighted Average Discount in excess of the dealer/ channel margin.

Adjusted Import content = Import content i.e. sum of CIF value of all non-originating materials and services including royalty in the final product including non-creditable import duties - (minus) Total Exempted Import as per FAQs.

The entire calculation above is net of GST.

After sub-paragraph 2.27, sub-paragraphs 2.28, 2.29 & 2.30 will be added, namely :

Para 2.28 : ***Frequently Asked Questions (FAQs):*** *FAQs are the queries raised during interactions/stakeholder consultations with applicants and auto industry associations. These queries have been compiled in the form of FAQs in this Scheme and published by MHI from time to time.*

Para 2.29 : ***Weighted Average Discount:*** *It is the weighted average of discounts offered by the applicants on the AAT product to their dealers / distributors in the last 12 months.*

Para 2.30 : ***Non-Originating Material and Services:*** *Material and Services whose country of origin is other than the country in which that material / service is used in manufacturing and any material / service whose origin cannot be determined.*

[F. No. 12(11)/2020-AEI (21370)]

HANIF QURESHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.31 22:18:33 +05'30'